संख्या-58/2017/2594 ई-2/तेरह-2017-166/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 26 अक्टूबर,2017

विषय:-श्री शरत अग्रवाल (डायरेक्टर) मेसर्स इम्पैक्ट रियलटेक एण्ड हास्पिटैलिटी प्रा0लि0 रजि0 ऑफिस बी-172 प्रथम तल योजना विहार दिल्ली-110092 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट दि मोनार्क, द्वितीय तल,ए एवं बी ब्लॉक हैबीटेट सेन्टर, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-134/5/आ0लि0/एफ0एल0-7/बार अनु0, दिनांक 16 सितम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 15-9-2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-242/दस-लाइसेंस-63/(खण्ड-7)/2016-17/एफ0एल0 6-7/गाजियाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स इम्पैक्ट रियलटेक एण्ड हास्पिटैलिटी प्रा0लि0 रजि0 ऑफिस बी-172, प्रथम तल, योजना विहार, दिल्ली द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट दि मोनार्क, द्वितीय तल, ए एवं बी ब्लॉक हैबीटेट सेन्टर, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने पर राज्य सरकार की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित शर्तो एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-58/2017/2594(1) ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-242/दस-लाइसेंस-63/(खण्ड-7)/2016-17/ एफ0एल0 6-7/ गाजियाबाद, दिनांक 16 अक्टूबर,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।